196

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1627–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–5–2016 पारित द्वारा तहसीलदार त्योदा जिला विदिशा म0प्र0 प्रकरण कमांक 6/अ–3/2015–16.

राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री भगवान सिंह
निवासी मुकुन्दपुर तहसील त्योदा जिला
विदिशा म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र मानक लाल
2. घनश्याम पुत्र नारायण सिंह
3. प्रहलाद कुमार पुत्र स्व0 श्री फूलचंद श्रीवास्तव
4. ब्रजेश पुत्र लक्ष्मण सिंह
5. राजेश पुत्र लक्ष्मण सिंह
   समस्त निवासीगण ग्राम मुकुन्दपुर तहसील
   जिला विदिशा म0प्र0
6. गनपत सिंह पुत्र भगवान सिंह
7. मुकेश सिंह पुत्र भगवान सिंह
8. रामकृष्ण पुत्र भगवान सिंह
9. नत्थी बाई पत्नी भगवान सिंह
   निवासीगण ग्राम मुकुन्दर पुर
   जिला विदिशा
10. द्रोपदी बाई पुत्री भगवान सिंह
11. सावित्री बाई पुत्री स्व भगवानसिंह
    निवासीगण हाल ग्राम मुकुन्दर पुर
    जिला विदिशा म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 31/10/2017 को पारित )

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार

त्योदा जिला विदिशा के आदेश दिनांक 18–5–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 लक्ष्मण सिंह ने तहसीलदार त्योंदा के समक्ष ग्राम व कस्बा वागरोद स्थित भूमि सर्वे कमांक 693/3, 694/2/1 के नक्शा में बटान कायम करने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने दिनांक 31–12–15 को प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदकों को तलब करने एवं इश्तहार का प्रकाशन करने के आदेश दिये। प्रकरण में प्रचलित रहने के दौरान दिनांक 18–5–2016 को आवेदक की आपत्ति निरस्त कर प्रकरण में फर्द बटान व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत करने के आदेश दिये। तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनावेदक कमांक ने स्वयं अपने आवेदन में यह स्वीकार किया है कि पूर्व में बटांक हो चुका है अतः पुन बटांकन की कार्यवाहीं की जा सकती। यह भी तर्क किया कि बिना सीमांकन कार्यवाही के बटांकन की कार्यवाही नहीं की जा सकती। तर्क में यह भी कहा कि अनावेदक कमांक 2 घनश्याम ने अनावेदक कमांक 3 प्रहलाद को जमीन विकय की जा चुकी है तथा मौके पर अनावेदक कमांक 1 लक्ष्मण सिंह काबिज नहीं है, जब मौके पर लक्ष्मण सिंह काबित नहीं है तब उसका प्राथमर्नापत्र प्रथमदृष्टया ही प्रचलन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है। अतः निगरानी स्वीकार जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि मौके पर खेती करते चले आने के बावजूद बटांकन नहीं होने से तहसीलदार के समक्ष बटांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसपर तहसीलदार ने विधिवत सभी हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस जारी किया जाकर इश्तहार का प्रकाशन किया गया। यह भी तर्क किया कि आवेदक ने आपत्ति के समर्थन में

कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिसके कारण आवेदक की आपत्ति निरस्त की है। तहसीलदार द्वारा कोई अनियमित आदेश पारित नहीं किया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार के समक्ष अनावेदक ने बटांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसपर तहसीलदार ने दिनांक 31–12–2015 को इश्तहार जारी करने एवं हितबद्ध पक्षकार को सूचना जारी करने के आदेश दिये गये जिसके पश्चात विधिवत सूचना जारी की गई। आवेदक तथा अन्य लोगों द्वारा तहसीलदार के समक्ष आपत्ति आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में प्रश्नाधीन भूमियों का बटांकन हो चुका है इसलिए बटांकन न किया जाये। तहसीलदार ने इस आधार पर आवेदक की आपत्ति निरस्त की है कि आवेदक द्वारा अपने तर्क के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा निकाला गया है निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है कि अनावेदक कमांक 1 लक्ष्मणसिंह अपने स्वत्व की भूमि का बटांकन कराना चाहता है। यदि किसी भूमि का बटांकन न किया गया हो तब कोई पक्षकार चाहे तो स्वयं की भूमि का बटांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है। इसके अतिरिक्त अभी प्रकरण में गुण–दोषों पर निराकरण होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। तहसीलदार का आदेश दिनांक 18–5–2016 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर